भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-965
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

पीएचडी प्राप्त करने पर कॉलेज शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि

†965. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यूजीसी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार, अपनी सेवा के दौरान पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले कॉलेज शिक्षकों को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान कर रही है;
(ख) क्या सरकार की ओर से कोई मौजूदा निर्देश या आदेश हैं, जो सेवा के दौरान प्राप्त पीएचडी योग्यता के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि के संबंध में यूजीसी विनियम, 2018 को प्रतिस्थापित या संशोधित करते हैं;
(ग) इन निर्देशों के विशिष्ट पहलू यूजीसी विनियम, 2018 से किस प्रकार भिन्न हैं और किस तरह से उन्होंने यूजीसी प्रावधानों पर प्राथमिकता दी है; और
(घ) क्या सरकार अपनी सेवा के दौरान पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले कॉलेज शिक्षकों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि लाभ बहाल करने के लिए किसी संशोधन या भत्ते पर विचार कर रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक **2** नवंबर **2017** के अपने पत्र संख्या **1-7/2015-यू.II(1)** के माध्यम से **7**वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतन संशोधन की योजना जारी की। उक्त पत्र के पैरा **8** के अनुसार, "प्रोत्साहन संरचना वेतन संरचना में ही अंतर्निहित है, जिसमें एम.फिल. या पीएचडी डिग्री वाले लोग सीएएस के तहत तेजी से प्रगति करेंगे। इसलिए, एम.फिल. या पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि के रूप में कोई प्रोत्साहन नहीं होगा।"

*****